सूचक अपने अधिवक्ता के अधिकार पत्र के साथ हाजरी दाखिल करते हैं और साथ में एक आवेदन दाखिल अंतिम प्रपत्र को स्वीकृत करने की प्रार्थना करते हैं।

सूचक अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर दाखिल अंतिम प्रपत्र को स्वीकृत करने की प्रार्थना एवं वाद का निष्पादन करने की याचना करते है। सुना।

अभिलेख एवं अंतिम प्रपत्र तथा वाद दयनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की घटना भा0 दं0 वि0 की धारा 379 ..... के अन्तर्गत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहने के कारण दाखिल अंतिम प्रपत्र को दाखिल आवेदन के आलोक में स्वीकृत किया जाता है।

कर्यालय नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित